

21/12/22

पत्रावली आज वादी एवं वकील वादी द्वारा उपाधित आकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई।

प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी द्वारा उपाधित आकर इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य लोक अदालत की गावनासे राजी-नामा हो चुका है एवं वादी अब वाद में कोई आग्रह कार्यवाही नहीं चाहता है इसी अंश पर वाद को जरिये विद्वाँ खारिज करवाना चाहता है।

अतः वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद को जरिये विद्वाँ खारिज किया जाता है।

वाद पत्रावली फैसल-शुमार होकर हलब जाता कारियल दफ्तर लो। निर्णय आज दिनांक 21/12/2022 को सुनाया गया।

4
उपखण्ड अधिकारी
कोलारत जिला-बीकानेर